

भाग-III

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अक्टूबर, 2023

संख्या सांका०नि० 22/संवि०/अनु० 309/2023.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) उप कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2001 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) उप कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) उप कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2001 में, परिशिष्ट ख में,-
 - (i) खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4क के सामने, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“(i) 10+2;”;
 - (ii) खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4ख के सामने, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“(i) 10+2;”;
 - (iii) क्रम संख्या 7 के सामने,-
 - (i) खाना 3 के नीचे, मद (i) में, “मैट्रिक” शब्द के स्थान पर, “10+2” अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) खाना 4 के नीचे, “स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा” शीर्ष के नीचे, मद (i) में, “मैट्रिक” शब्द के स्थान पर, “10+2” अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डॉ० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT****Notification**

The 11th October, 2023

No. G.S.R. 22/Const./Art. 309/2023.— In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Food and Supplies Department (Legal Metrology Organisation) sub-office (Group-C) Service Rules, 2001, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Food and Supplies Department (Legal Metrology Organisation) sub-office (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2023.

2. In the Haryana Food and Supplies Department (Legal Metrology Organisation) sub-office (Group-C) Service Rules, 2001, in Appendix B,-

- (i) under column 3 and 4, against serial number 4a, for the existing item (i), the following item shall be substituted, namely:-
“(i) 10+2;”;
- (ii) under columns 3 and 4, against serial number 4b, for the existing item (i), the following item shall be substituted, namely:-
“(i) 10+2;”;
- (iii) against serial number 7,-
 - (a) under column 3, in item (i), for the word “Matric”, the figures and sign “10+2” shall be substituted;
 - (b) under column 4, under heading ‘By Transfer for Deputation’, in item (i), for the word “Matric”, the figures and sign “10+2” shall be substituted.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department.